**अखिल भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा संघ के पदाधिकारियों की उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ**
**दिनांक 21.12.2017 को 12:00 बजे अपराह्न में आयोजित**
**बैठक की चर्चा का रिकॉर्ड नोट**

1. अखिल भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा संघ के पदाधिकारियों की उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ दिनांक 21.12.2017 को 12:00 बजे अपराह्न, कमरा संख्या 510 में बैठक आयोजित की गई थी।

2. शुरू में, उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने संघ के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और आशा व्यक्त की, कि आगामी चर्चा लाभदायक और रचनात्मक होगी।

3. उसके बाद दस एजेंडा मदों पर चर्चा शुरू की गई।

**अनुबन्ध-क**

**अखिल भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा संघ के पदाधिकारियों की उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ**
**दिनांक 21.12.2017 को 12:00 बजे अपराह्न में आयोजित**
**बैठक में उपस्थित भागीदारों की सूची**

**सर्व श्री/सुश्री**

| | |
|---|---|
| रीता मित्रा | उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक |
| खालिद बिन ज़माल | प्रधान निदेशक (स्टाफ) |
| वी.एस. वेकंटनाथन | सहायक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (अराज) |
| राजकुमार चौधरी | प्रशासनिक अधिकारी/जेसीएम |
| के. सी. मथाई | संघ के उपाध्यक्ष |
| एम. एस. राजा | संघ के महासचिव |
| अनिल कुमार | संघ के अपर महासचिव |
| जी. राजगोपाल | संघ के सहायक-महासचिव |

**संघ की मांग सं. 1.: (i) 2012 के लेखापरीक्षा पुनर्गठन पर दुबारा ध्यान देना और लेखापरीक्षा कार्यालयों में कर्मचारी की संख्या का यौक्तिकरण:**

**(ii) सीईआरए में केरल से चेन्नै तक लेखापरीक्षा दलों के पद के अनुदेशों को वापिस लिया गया है।**

(i) पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की अवधारणा के विरूद्ध अप्रैल 2012 से प्रभावी, लेखापरीक्षा कार्यालयों के पुनर्गठन से पहले कर्मचारी संख्या को यौक्तिकरण करना।

इसके अलावा, कर्मचारी संख्या को यौक्तिकरण करने के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी हाल ही में दिये गये अनुदेश लेखापरीक्षा को मजबूत बनाने की मूलअवधारणा के प्रति नकारात्मक है।

तकनीकी संवर्गों की सूची से लेखापरीक्षा/लेखाकार और एसए संर्वग को छोड़ कर संवर्ग को अवक्रमित करने के लिए जानबूझकर उठाया गया कदम है जिसके भविष्य में गंभीर परिणाम हो सकते है, इसे संशोधित किया जाए।

इसलिए अनुरोध है कि उपरोक्त निर्णयों की संपूर्ण समीक्षा की जाए।

(ii) दिनांक 01.03.2017 के आदेश द्वारा महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, चेन्नै ने तीन लेखापरीक्षा दलों को चेन्नै में तैनात किया। महालेखाकार लेखापरीक्षा, केरल द्वारा संघों में केरल से कहा गया कि यह मुख्यालय स्तर पर किया गया है। लेखापरीक्षा दलों को केरल से चेन्नै में तैनाती का तात्पर्य कर्मचारियों का विस्थापन है जो 25.01.2012 को उप-नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा मान्यता प्राप्त संघ को दिये गये आश्वासनों की प्रस्तावित पुनर्गठन के कारण विस्थापन नहीं होगा, के पूर्णतया विरूध है। लेखापरीक्षा दलों का उनकेतैनाती के स्टेशन (अर्थात राज्य) के बाहर तैनाती के निर्णय को कृपया वापस लिया जाए।

**मांग के संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया:-**

(i) कार्यात्मक विंगों और क्षेत्रीय कार्यालयों के परामर्श से लेखापरीक्षा कार्यालयों में कर्मचारियों को यौक्तिकरण हो गया है। लघु अवधि योजना के प्रथम चरण कार्यान्वयनाधीन है और 2018 तक पूर्ण होने की आशा है। लघु अवधि योजना के कार्यान्वयन के पश्चात यौक्तिकरण प्रयोग की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद, दीर्घ अवधि योजना की शुरूवात इसके कार्यान्वयन के लिए की जाएगी। लेखापरीक्षक/लेखाकार को तकनीकी संवर्ग से नहीं हटाया जा रहा है और लेखापरीक्षा के संचालन में सम्मिलित रहेंगें।

(ii) लेखापरीक्षा दलों को चेन्नै में तैनाती नहीं की गई थी लेकिन दौरा आधार पर भेजा गया। केन्द्रीय कार्यालयों के पीडी/डीजी का संगठन ऐसे है कि उनके पास राज्य के सीमाओं के बाहर अधिकार क्षेत्र है।

मद को समाप्त किया जाए।

**संघ की मांग सं. 2.: सभी कर्मिको को समयवद्ध 5 पदोन्नतियों।**

कैरियर के उन्नति के संबंध में सबसे ज्यादा प्रभावित कार्मिक आईएएडंएडी में है, जो नीचे के कर्मियों के बीच निराशा और हताशा का कारण है। (आईएंडएएस छोड़कर आईएएडंएडी) सभी संवर्ग इससे पीड़ित है। प्रवेशस्तर से सभी के लिए समयबद्ध पांच उन्नति ही इसका एकमात्र समाधान होगा।

**मांग के संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया:-**

आईएएडंएडी में लेखापरीक्षा और लेखाकार संवर्गों में व्यापक संवर्ग पुनर्संरचना करने का प्रस्ताव है। संवर्ग समीक्षा पर संघ का विचार पहले ही मांगा गया है और इस प्रक्रिया में संघ को शामिल किया जाएगा।

**संघ की मांग सं. 3.:बिना शैक्षणिक योग्यता के वरिष्ठता सह फिटनेस के आधार पर एमटीएस, एलडीसी, डीईओ, लेखापरीक्षक/लेखाकार तथा व.ले.प.अ. के लिए पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करना।**

यह देखा जाता है कि एमटीएस को एलडीसी में पदोन्नति के लिए इस आधार पर मना किया जाता है कि वह 10+2 नही है, उसी तरह से एलडीसी से लेखापरीक्षक/लेखाकार की पदोन्नति के मामलें में भी स्नातक होने के आधार को देखा जाता है।

यह पहली बार हुआ है कि विभागीय (पार्श्व) पदोन्नति के लिए शैक्षणिक योग्यता पर जोर दिया गया है-भर्ती नियम के कुछ मामलों में भी संशोधन नही किया गया है; यहॉ तक कि भर्ती नियम के कुछ मामलों में पदोन्नतियों के संशोधन के प्रस्ताव को मना किया गया है।

विभागीय अभ्यर्थियों के संबंध में सीधे भर्ती के लिए निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता लागू किये बिना स्वीकृत सिद्धांतों का सम्मान न करना निम्न केडर के पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत करता है । हम बिना किसी संशोधनों के वरिष्ठता सह फिटनेस आधार पर सभी अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति के अवसरों की मांग करते है।

**मांग के लिए आधिकारिक प्रतिक्रियाः-**

एमटीएस से क्लर्क को छोड़कर किसी भी केडर में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति में शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नही है।

एमटीएस को क्लर्क की पदोन्नति पर रजिस्टरों को अनुरक्षित,फाइल कार्य, कम्पयूटर पर कार्य करना होता है जिसके लिए पढ़ने एवं लिखने के कुछ ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए एमटीएस जिसने 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण नही की है वह अपनी सेवा अवधि के दौरान 10+2 की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर सकता है एवं अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है।

इस मद को समाप्त किया जा सकता है।

**संघ की मांग सं. 4.: 6वे एवं 7वें सीपीसी की अनुशंसा के अनुसार 4 वर्ष की सेवा पूरी करने पर स.ले.प.अ. को 5400 ग्रेड पे प्रदान करना**

7 वें सीपीसी की अनुशंसा के कार्यान्वयन न होने पर निराशा हुई तथा स.ले.प.अ. के सम्पूर्ण केडर को हतोत्साहित किया गया, 5400 (अर्थात स.ले.प.अ. को पे मैट्रिक्स में लेवल 9 दिया जाना) ग्रेड पे प्रदान करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की मांग की जाती है। -

यह अनुरोध है कि उपरोक्त सिफारिश के कार्यान्वयन को सरकार से अनुमोदित कराया जाए।

**मांग के लिए आधिकारिक प्रतिक्रियाः-**

यह नियत किया गया था कि मुख्यालय ने वित्त मंत्रालय को ग्रेड पे 4800 से 5400 में गैर कार्यात्मक अपग्रेडेशन की मांग के लिए अनुशंसा की है। मुख्यालय मामले में प्रबलता से कार्रवाई कर रहा है।

**संघ की मांग सं. 5.: जिन अभ्यर्थियों ने चार पेपर उत्तीर्ण कर लिऐ है उन्हें एसएएस के लिए असीमित अवसर प्रदान किऐ जाऐं।**

एसएएस परीक्षाओं की पूर्व प्रणाली में जब भाग I और भाग II वाटर टाईट कम्पार्टमेंट (जब कोई अभ्यर्थी एसएएस परीक्षा के भाग I में उत्तीर्ण हो जाता था, केवल तभी भाग II में बैठने की अनुमति थी) परीक्षा के भाग-II में उस अभ्यर्थी को बैठने के अवसरो की संख्या सीमित नहीं थी।

एसएएस परीक्षा की नई प्रणाली में, जो 2010 में आरंभ की गई, इसमें भाग I और भाग IIको अलग कर दिया गया और अभ्यर्थी दोनों भागों की परीक्षा दे सकता है। इस व्यवस्था से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिसके कारण अभ्यर्थी को भाग II में बैठने के लिए असीमित अवसर समाप्त हो गए।

यह अनुरोध है कि एसएएस परीक्षाओं के भाग II में असीमित अवसरों की व्यवस्था को पुन: आरंभ किया जाऐ और जिन अभ्यार्थियों को चार परीक्षाओं में उत्तीर्ण घोषित किया गया है उन्हें कृपा करके एसएएस परीक्षा में असीमित अवसर प्रदान किऐ जाऐ।

**मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:**

वर्ष 2010 में, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर, एसएएस परीक्षा में सुधार किऐ गऐ और इसे बहुविकल्पी प्रश्न (एमसीक्यू) की कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में बदला गया। एसएएस परीक्षा के दोनो समूहों में 9 परीक्षाऐं होती है तथा अभ्यर्थी को दोनो समूहों में एक साथ बैठने की अनुमति दी गई है। आरंभ में, परीक्षा के 9 प्रश्नपत्रों को उत्तीर्ण करने के लिए 6 अवसर दिऐ जाते थे। तथापि, स्टाफ एसोसिएशन केनिवेदन के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा 06 अवसरों में एसएएस परीक्षा के 09 प्रश्नपत्रों में से कम से कम 05 में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को 04 अतिरिक्त लगातार अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया जा चुका है। संघ को बताया गया कि एसएएस परीक्षा के 9 प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने के लिए 10 अवसर (6 नियमित और 4 अतिरिक्त) गंभीर अभ्यर्थियों के लिऐ पर्याप्त है।

इस मद को समाप्त किया जा सकता है।

**संघ की मांग सं. 6.: कार्यालय परिसर में प्रदर्शन पर रोक हटाई जाऐ।**

2012 में कार्यालय परिसर में प्रदर्शन आयोजित करने पर पूर्ण निषेध कर दिया गया है।

यह सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के प्रावधानों के विपरीत है, जो परिस्थितियों के अधीन प्रदर्शन-नियम के अंतर्गत अनुमत करता है।

कर्मचारियों का शांतिपूर्वक माध्यमों से प्रदर्शन करने के अधिकार का हनन किया जा रहा है, कृपया इसे पुन: बहाल किया जाए।

**मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:**

सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से क्षेत्रीय कार्यालयों में सामान्यतया भोजनावकाश बैठके अनुमत है। विशेष शर्तों, जैसे कि बैठक के दौरान बिना लाउडस्पीकर के प्रयोग के बैठक और भोजनावकाश में बैठक समाप्त हो जानी चाहिए, के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय का कार्यान्वयन प्रभावित न हो इसलिए ऐसा किया जाता है। ओडिशा कार्यालय में, भोजनावकाश बैठकों की अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि ऐसोसिएशन द्वारा भोजनावकाश बैठकों की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया था। तथापि, उन्हें कार्यालय समय के पश्चात बैठक आयोजित करने की अनुमति दी जाती है।

इस मद को समाप्त किया जा सकता है।

**संघ की मांग सं. 7.: पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति करके विभागीय कैंटीन के उपयुक्त परिचालन को सुनिश्चित करना**

श्रमबल की भारी कमी के कारण विभागीय कैंटीन का परिचालन पंगु हो गया हैं। पर्याप्त नियमित लोगों की नियुक्ति के द्वारा इसको पूरा किया जाय।

**मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:-**

वर्ग 'ग' पदों के लिए संशोधित भर्ती नियमावली को अधिसूचित और परिचालित किया गया है। वर्ग 'ख' पदों के भर्ती नियम प्रक्रियाधीन हैं। विभागीय कैंटीन में कर्मचारी की भर्ती नियत समय में आरम्भ की जायेगी।

इस मद को समाप्त किया जा सकता है।

**संघ की मांग सं. 8.: (i) क्षेत्र स्तरीय लेखापरीक्षा दलों को पर्याप्त श्रम दिवस और उपयुक्त पारगमन दिन प्रदान किये जाने चाहिए।**

क्षेत्रीय दलों के गठन में परिवर्तन किया गया है और लेखापरीक्षा दल में केवल दो व्यक्ति उपलब्ध हैं जहां सामान्यत: दल में तीन या चार व्यक्ति रिर्पोट कर रहे हैं, जिससे मानव दिवस कम हुए है। इसने लेखापरीक्षा दलों पर उपलब्ध संसाधनों के साथ लेखापरीक्षा को पूरा करने का बहुत अधिक दबाव बना दिया है।

अत: यह अनुरोध है कि लेखापरीक्षा योजनाएं वैज्ञानिक मानदंडो के आधार पर तैयार की जायं और कार्यक्षम लेखापरीक्षा करने हेतु पर्याप्त श्रम दिवस प्रदान किए जाएं।

**ii) अवकाशों पर पारगमन देने की प्रक्रिया को समाप्त करना**

वर्तमान समय में, दलों को आगामी स्टेशनों पर यात्रा करने के लिए पारगमन नहीं दिया जा रहा था, इसके बजायकेवल अवकाश ही पारगमन के रूप में दिये गए। यह अनुरोध है कि दलों को कार्य गन्तव्य तक यात्रा करने के लिए पूर्व में दिये गये अनुसार पारगमन दिया जाय।

**iii) समयबद्ध ढंग से यात्रा टीए/डीए पर किये दावों का समाधान**

लेखापरीक्षा कार्य में तैनात स्टॉफ को अपनी यात्रा पर बड़ी मात्रा में खर्च करना पड़ता है परन्तु उनको अग्रिम के रूप में एक अल्प राशि प्राप्त होती है। जब समायोजन बिल प्रस्तुत किये जाते हैं तब दावों के समाधान में विलम्ब होता है। यात्रा अग्रिम के आहरण से एक महीने के अन्दर समायोजन बिल प्रस्तुत नहीं करने पर अधिकारियों से दंडात्मक ब्याज एकत्र किया जा रहा है, परन्तु स्टॉफ को उनके समायोजन बिलों के समाधान में विलम्ब होने पर किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अधिकारी निरंतर यात्रा पर रहते हैं, इसलिए उनको पर्याप्त यात्रा अग्रिम दिया जाय और समयबद्ध ढंग से उनके टीए/डीए दावों का निपटान किया जाय।

**मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:-**

संघ को आगामी परीक्षा के लिए विशिष्ट कार्यालयों के नाम की सूचना देने की सलाह दी गई थी। संघ ने पहले 06 क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात् (i) प्र.म.ले. (जी एण्ड एसएसए), राजस्थान, (ii) प्र.म.ले. (जी. एण्ड एसएसए), तमिलनाडु, (iii) प्र.म.ले. (जी एण्ड एसएसए), केरल, (iv) म.ले. (जी एण्ड एसएसए), गुजरात, (v) डीजीए, केन्द्रीय कोलकाता और (vi) डीजी (पी एण्ड टी) नागपुर शाखा, के नामों के विषय में बताया था। तदनुसार, 06 क्षेत्रीय कार्यालयों से टिप्पणियां मांगी गई थीं। उपरोक्त सभी कार्यालयों ने बताया है कि 31/03/2017 तक कोई भी टीए/डीए बिल लम्बित नहीं है और इस वित्तीय वर्ष में बड़ी संख्या में टीए/डीए बिलों को मंजूरी दी गई

है और शेष बिलों को मार्च 2018 तक मंजूर कर दिया जायेगा। अधिकारियों को बिना टीए/डीए के अवकाशों में अपने मुख्यालय वापस आने के लिए कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं जहां यात्रा 200 किमी. से अधिक थी वहां एक दिन का पारगमन दिया जा रहा है।

इस मद को समाप्त किया जा सकता है।

**संघ की मांग सं. 9.: स्टाफ हितों की रक्षा और कार्यालय महालेखाकार (आंध्र प्रदेश) से महालेखाकार (आ. प्र.) तथा महालेखाकार (तेलगांना) में विभाजन के घटनाक्रम में कार्मिकों को सुविधाओं का दिया जाना।**

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के परिणामस्वरूप वर्तमान महालेखाकार कार्यालयों का विभाजन महालेखाकार (आ.प्र) और महालेखाकार (ते.रा.) में किया जाना अपरिहार्य हो गया है।

आंध्र प्रदेश राज्य अपनी नई राजधानी अमरावती में बना रहा है, जहां इस समय, खराब अवसरंचना उपलब्ध है। इसके राजधानी शहर के रूप में सभी आधुनिक अवसंरचनाओं तथा सुविधाओं के साथ पूर्ण निर्मित होने और फलने फूलने में अभी समय लगेगा।

नऐ कार्यालयों के निर्माण का अर्थ हैदराबाद में तैनात कार्मियों को अमरावती में बनने वाले नऐ कार्यालय में तैनात करना होगा। अपनी ईच्छा से वहां तैनात होने हेतु स्वैच्छिक कार्मिकों को आकर्षित करने के लिए उन कार्मिकों के लिए वहां रिहायशी सुविधाओं की उपलब्धता विभाग को सुनिश्चित करनी होगी। निश्चित अवधि (प्रतिनियुक्ति आधार पर) के स्थानांतरण के मामले में उन्हे हैदराबाद दरों में एचआरए और किराया मुक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए क्योंकि उनके परिवार हैदराबाद में ही रहेंगे।

अमरावती में सीजीएचएस सुविधा न होने के कारण, सीजीएचएस के समान सभी चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

कृपया यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संघ की समन्वय समिति को विभाजन तथा कार्यालयों के स्थानांतरण के इस मामले में प्रत्येक स्तर पर विश्वास में रखा जाऐ।

**मांग पर अधिकारिक प्रतिक्रिया:-**

एचआरए/टीए का नियमन सरकार द्वारा अधिसूचित वर्तमान नियमों के आधार पर किया जाएगा। सीजीएचएस डिस्पेंसरी खोलने की शक्ति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पास है। अत: इस मामले को सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार के पास केंद्र सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति के माध्यम से उठाया जा सकता है। तथापि कर्मचारी सीएसएमए नियामली, 1994 के अंतर्गत प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक (एएमए) से चिकित्सीय उपचार प्राप्त कर सकते है।

इस मद को समाप्त किया जा सकता है।

**संघ की मांग सं. 10.: वरिष्ठ लेखापरीक्षक/वरिष्ठ लेखाकार जिन्हें एमएसीपी के अंतर्गत ग्रेड पे 4600 प्रदान किया गया था, के पर्यवेक्षक के रूप में प्रोन्नति पर उनका वेतन निर्धारण।**

एमएसीपी के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के पश्चात वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/ वरिष्ठ लेखाकारों (4200/-ग्रेड पे वाले) को ग्रेड पे 4600/- प्रदान किया गया था। ग्रेड पे 4800/- में पर्यवेक्षक के रूप में उनकी नियमित प्रोन्नति के पश्चात, कार्मिकों को उनके ग्रेड पे में 200/- का अंतर अनुमत किया गया। तथापि, 7वें सीपीसी के लागू होने के पश्चात, कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलता है जबकि वरिष्ठ लेखापरीक्षक/ वरिष्ठ लेखाकार, जिन्हें एमएसीपी मिल गई थी, पर्यवेक्षक के रूप में अपनी नियमित प्रोन्नति प्राप्त करते हैं।

**मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:-**

एमएसीपी योजना यह व्यक्त करती है कि योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के समय पर उपलब्ध वेतन नियमन के लाभ नियमित प्रोन्नति के समय पर भी उपलब्ध होंगे। इसलिए ऐसे उन्नयन से पूर्व प्राप्त पे बैण्ड तथा आहरित ग्रेड पे में कुल वेतन का 3% की वृद्धि होगी। तथापि, वास्तविक प्रोन्नति के समय पर यदि यह उच्च ग्रेड पे धारित पद पर होती है तो, कोई वेतन नियतन उपलब्ध नहीं होगा, केवल ग्रेड पे का अंतर ही प्रदान किया जाएगा।

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में प्रोन्नति के अंतर्गत वेतन नियतन सीसीएस (आरसी) नियमावली, 2016 के नियम 13(i) के अंतर्गत वर्तमान प्रावधानों के अनुसार है।

इस मद को समाप्त किया जा सकता है।